

प्रारंभिक

I

परिविठ्ठ- I

82-

संचिका संख्या- वि०(२७)प०को०-५३/०४ - १९६४

विहार सरकार
दिन विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक- ३१. ८. २००५

विषय:- दिनांक ०१.०९.२००५ एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, लिये गये निर्णयों के आलोक में सम्प्रति राज्यकर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान, भत्ता, सेवानिवृत्ति की आयु आदि की सुविधायें अनुमान्य हैं।

२. भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के पत्रांक-०५/०७/२००३ ई०सी०वी० अन्तर्क-२२.१२.२००३ द्वारा भारत सरकार के अधीन दिनांक-०१.०१.२००४ या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पेंशन योजना के स्थान पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। अत्यधिक भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए प्रख्यापित अंशदायी पेंशन योजना के सदृश्य राज्य सरकार द्वारा सूम्यक विचारोपरांत दिनांक-०१.०९.२००५ के प्रभाव से अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम “विहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-२००५” होगा।

३. इस संकल्प में निहित प्रावधान वैसे सरकारी सेवकों के मामले में लागू होगी जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन दिनांक-०१.०९.२००५ को या उसके बाद हुई हो, परन्तु उक्त प्रावधान संविदा, लोक उपकरणों एवं खायत संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आय कर्मियों, दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों तथा अनियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होगी।

४. दिनांक-०१.०९.२००५ या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्मियों वे गारिक वेतन विध्य से मूल वेतन+अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के घोग की १० (दस) प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कठोरी की जायेगी, तथा उतनी ही राशि नियोक्ता अर्थात् राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी।

५. योजनान्तर्गत संबंधित कर्मियों के अंशदान की कठोरी उनके योगदान के अगले माह से प्रारम्भ होगी, अर्थात् यदि सितम्बर, २००५ में किसी ने योगदान किया हो तो अंशदान की कठोरी अक्टूबर, २००५ के विषय से प्रारम्भ होगी।

६. योजना प्रवृत्त होने की तिथि ०१.०९.२००५ या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान में लागू सामान्य भविष्य निधि तथा विहार पेंशन नियमावली १९५० के प्रावधान लागू नहीं होगी, अर्थात् सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की कठोरी नहीं की जायेगी।

७. योजनान्तर्गत अंशदान की कठोरी तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान संबंधी लेखा का संपादन तत्काल भविष्यनिधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के अधीन अंशदान की कठोरी के लिए एक लेखा संख्या आवंटित की जायेगी।

८. नई पेंशन योजनान्तर्गत संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निधि की ५०(चालीस) प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीदने (आई० आर० डी० ए० नियंत्रित जीवन बीमा कम्पनी से) के लिए कठोरी कर ली जायेगी जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता-पिता तथा पति-पत्नी के जीवन काल हेतु पेंशन की व्यवस्था की जायेगी तथा शेष ६०(साठ) प्रतिशत राशि एक

४
१०५

२।-

२।-

मुश्त

सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक को भुगतान कर दी जायेगी ।

9. इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ।

10. जब तक पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण गठित नहीं हो जाता है, तबतक कठीना तथा अंशदान की राशि लोक लेखा में रखी जायेगी तथा इस पर सामान्य भविष्य निधि की दर से अग्रज देय होगा ।

11. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों की भांति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है को इस नई अंशदायी पेंशन योजना को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को विहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये

विहार राज्यपाल के आदेश से,

पी० एन० नारायणन,
वित्त आयुक्त । ३।।४।५

जापाक- १५०(२७)५७५०-५३०४- १९६४ पटना, दिनांक- ३।।४।२।०८५
प्रतिलिपि- महालेखाकार, विहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पी० एन० नारायणन,
वित्त आयुक्त । ३।।४।५

जापाक- १५०(२७)५७५०-५३०४- १९६४ पटना, दिनांक- ३।।४।२।०८५
प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/निवंधक उच्च न्यायालय पटना/सचिव, विहार विधान सभा/सचिव, विहार विधान परिषद/सभी समाजतांत्रिक/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

भगत चौधरी, ४।०५
उप सचिव ।

जापाक- १५०(२७)५७५०-५३०४- १९६४ पटना, दिनांक- ३।।४।२।०८५
प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासन, पंत भवन, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी केंद्रागार/उप केंद्रागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

भगत चौधरी, ४।०५
उप सचिव ।

जापाक- १५०(२७)५७५०-५३०४- १९६४ पटना, दिनांक- ३।।४।२।०८५
प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारवाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

भगत चौधरी,
उप सचिव ।

अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 1000 प्रति मुद्रित कर वित्त विभाग (पेंशन कोषांग) को दथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ।